

संख्या 11014/5/81-अ0 भा0 से0 111

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 फरवरी, 82

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 के समस्तिक पत्र के संदर्भ में मुझे वित्त मंत्रालय द्वारा विभागों के दिनांक 20 नवम्बर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/5/81-ई.111 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जो संदर्भाधीन पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई थी ।

भवदीय,

[Signature]

[Signature]

डैस्क अधिकारी

संख्या 11014/5/81-अ0 भा0 से0 111 नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 82

प्रतिलिपि सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुलग्नक सहित अग्रेषित :-

1. सभी महा लेखाकार ।
2. गृह मंत्रालय यू0टी0एस0 अनुभाग
3. गृह मंत्रालय आई0पी0एस0 अनुभाग ।
4. कृषि विभाग आई0एफ0एस0 अनुभाग ।
5. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक ।
6. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ।

[Signature]

[Signature]

डैस्क अधिकारी

संख्या 13017/5/81-संस्था-111१११

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 20 नवम्बर, 1981

1903 शक

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी- 1 जून, 1981 से प्रभावी संशोधित करें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन सं० 13016/1/81-संस्था-111१११ का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 में निर्दिष्ट अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की दरें 1 जून, 1981 से निम्न प्रकार संशोधित की जाएंगी :-

<u>वेतन सीमा</u>	<u>अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की प्रतिमास दरें</u>
i 300/- रुपये तक	वेतन का 65.5 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 35 रु तथा वेतन का 48% और अधिक से अधिक 194/- रु।
ii 300/-रु से ऊपर और 400/- रु तक।	62/- रु तथा वेतन का 44 प्रतिशत।
iii 400/- रु से ऊपर और 800/- रु तक।	वेतन का 48.5 प्रतिशत, किन्तु कम से कम वेतन का 15.5 प्रतिशत तथा 176/- रु।
i 800/- रु से ऊपर और 900/- रु तक।	100/-रु तथा वेतन का 36 प्रतिशत।
ii 900 रु से ऊपर और 1000 रुपये तक।	127 रु तथा वेतन का 33 प्रतिशत
i 1000/- रु से ऊपर और 1600/- रु तक।	457/रुपये।
ii 1600/- रु से ऊपर और 1660 रुपये से कम	2057/- रु से वेतन जितना कम पड़ता हो उतनी राशि।
iii 1660/- रुपये से ऊपर 2000/- रुपये तक।	397/- रुपये।

2. 2000/- स्थायी से ऊपर के वेतन पर कुल मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता इस मंत्रालय के दिनांक 14-7-1981 के का०ज्ञा० संख्या 13017/3/81-स्था० 11/ख० के पैरा 2 में बताये अनुसार विनियमित होता रहेगा ।

3. मंहगाई भत्ते और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के संबंध में की जाने वाली अदायगियां निकटतम 10 पैसे तक पूर्णांकित की जाएंगी ।

4. सशस्त्र सेना कर्मचारियों तथा असेनिक कर्मचारियों, जिनकी रक्षा सेवाएं अनुमानों से अदायगी की जाती है और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक आदेश क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

ह०/-

वी०एस० जफा

संयुक्त सचिव, भारत सरकार